राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(9)एम.ई./ग्रुप-1/2/2015 जयपुर, दिनांक 31 MAR 2016

परिपत्र

विषयः- नॉन क्लिनिकल एवं पैरा क्लिनिकल विषयक (एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमेस्ट्री, फार्माकोलोजी, पैथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, पी.एस.एम.) के चिकित्सक शिक्षकों को निजी प्रेक्टिस करने की अनुमति दिये जाने बाबत।

राज्य में समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत (एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकेमेस्ट्री, फार्माकोलोजी, पैथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, पी.एस.एम.) विषयक के चिकित्सक शिक्षकों को कार्यालय समय के अतिरिक्त निजी प्रक्टिस करने की एतद् द्वारा प्रशासनिक अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति निम्न शर्तो के अध्यधीन होगीः-

1. चिकित्सक शिक्षक निजी प्रेक्टिस हेतु कार्यस्थल से 25 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जायेगें।
2. चिकित्सक शिक्षक प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व निजी प्रेक्टिस करेन हेतु विकल्प का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।
3. चिकित्सक शिक्षक जो निजी प्रेक्टिस का विकल्प प्रस्तुत करेगे/चुनुगे उन्हें नियमानुसार एनपीए/एनसीए देय नही होगा।
4. चिकित्सक शिक्षक द्वारा दिन प्रतिदिन के राजकीय कार्य को निष्ठापूर्वक सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा अन्यथा राज्यादेश की अवहेलना समझी जायेगी एवं नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(डी.एल. तंवर)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा (प्रशासन/शैक्षणिक)
5. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा शिक्षा।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. समस्त प्रधानाचार्य/मुख्य लेखाधिकारी, मेडिकल कॉलेज।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner